न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03/2022	24.01.2022	30/7/24

वउनवान

सूरजकरण आयु 65 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जागा निवासी मूण्डली तह0 पीपल्दा हाल मुकाम जागा वस्ती चोथमाता मंदिर के पास प्रेम नगर द्वितीय कोटा, जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, राज. काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते एवं स्वामित्व की कृषि आराजी वाके माल ग्राम मूण्डली पटवार हलका रनोदिया भू0अभि0निरी0 क्षेत्र तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खाता संख्या नया 180 पुराना 164 की ख0सं0 406 रकबा 0.30 है0 ख0 सं0 441 रकबा 0.05 है0, ख0सं0 442 रकबा 0.34 है0, ख0सं0 444 रकबा 0.19है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.88है0 कृषि भूमि वादी के तन्हा खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जिस पर वादी शांतिपूर्ण रूप से काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि उक्त कृषि आराजी वादी सूरजकरण ने दिनांक 27.06.1990 को विक्रेता मोहम्मद हमीद, मजीद खां पुत्रान नसीर खां जाति मुसलमान निवासी अंता तह0 मांगरोल जिला बारां से कय की थी।

उक्त विक्रय पत्र दिनांक 27.06.1990 के आधार पर वादी वर्णित कृषि आराजी पर खातेदार दर्ज किया गया। उक्त वर्णित आराजी को क्रय करते समय विक्रय पत्र आलेखित करते समय विक्रय पत्र में सहवन से वादी की जाति जागा व कोष्ठक में बैरवा आलेखित कर दिया गया है। जबकि वादी की वास्तविक जाति जागा ही है। वादी के दादा और उसके पर दादा के राजस्व रिकॉर्ड में तथा वादी के समस्त दस्तावेज में भी वादी की जाति जागा ही है। लेकिन विक्रय पत्र आलेखित करते समय सहवन से कोष्ठक में बैरवा आलेखित कर दिया गया है, जो गलत है। जिसको माननीय न्यायालय की सहायता से रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड में वादी की जाति जागा व कोष्ठक में बैरवा दर्ज है। यह कि वादी द्वारा उक्त राजस्व रिकॉर्ड में आलेखित जाति कोष्ठक में बैरवा को दुरूस्त करवाने बाबत् कई बार वादी ने तहसीलदार महोदय पीपल्दा [illegible]ासन गांव के संग शिविर अभियान 2010, 2021 में आवेदन किया गया। लेकिन वादी की कोष्ठक में लिखी हुई बैरवा को दुरूस्त नही किया गया। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

यह कि वादी ने तहसीलदार महोदय पीपल्दा के समक्ष दिनांक 22.11.2021 को प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा के समक्ष कोष्ठक में जाति बैरवा को दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन किया गया। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अपने कार्य क्षेत्र व अधिकार से बाहर का कार्य बताते

सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)

हुऐ स्पष्ट मना करने पर तथा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने की हिदायत देते हुऐ स्पष्ट मना करने पर वाद कारण दिनांक 22.11.2021 से लगातार उत्पन्न हो रहा है।

यह कि वाद पत्र में तहसीलदार पीपल्दा को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया जो लैंड होल्डर है लेकिन वादी के खाते वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में जाति जागा व कोष्ठक में बैरवा दर्ज होने से वादी को आज तक किसी भी सरकार द्वारा संचालित की जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। इस कारण वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का हो जाने से व समय अभाव के कारण धारा 80 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को नोटिस दिया जाना संभव नही है, इसलिए वाद स्वीकृति हेतु धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है, जो संलग्न वाद पत्र है।

वादी के खाते की कृषि आराजी ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खसरा संख्या 406 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा संख्या 441 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा संख्या 442 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टर कृषि आराजी में दर्ज वादी की जाति जागा कोष्ठक में बैरवा को दुरुस्त किया जाकर वादी सूरजकरण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जागा निवासी मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के लिए प्रतिवादी को आदेशित किया जावें।

वाद वादी की ओर से श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार पेश हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के अनुसार वाद पत्र में विवादित उक्त कृषि आराजी वादी के खाते दर्ज है। जिसमें वादी की जाति जागा दर्ज है। लेकिन कोष्ठक में बैरवा अंकित हो रहा है वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में पेश जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड विभिन्न पंजीकृत दस्तावेज आदि पेश किए गए जिसमें वादी की जाति जागा दर्ज है। जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार में भी वादी सूरजकरण की जाति जागा होना बताया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वादी की जाति जागा ही है। जाति जागा के बाद कोष्ठक में बैरवा शब्द अंकित हो रहा है इससे वादी को परेशानी होती है। उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम मूण्डली पटवार हलका रनोदिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खसरा संख्या 406 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा संख्या 441 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा संख्या 442 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टर कृषि आराजी में दर्ज वादी की जाति जागा के बाद कोष्ठक में अंकित 'बैरवा को हटाया जाकर वादी सूरजकरण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जागा निवासी मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक इटावा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा (आर0ए0एस0)

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03/2022	24.01.2022	30/7/24

बउनवान

सूरजकरण आयु 65 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जागा निवासी मूण्डली तह0 पीपल्दा हाल मुकाम जागा बस्ती चोथमाता मंदिर के पास प्रेम नगर द्वितीय कोटा, जिला कोटा राज0।

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब पीपल्दा जिला कोटा।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, राज. काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडबोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू.......................... मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कि ग्राम मूण्डली पटवार हलका रनोदिया तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 की खसरा संख्या 406 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा संख्या 441 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा संख्या 442 रकवा 0.34 हैक्टर, खसरा संख्या 444 रकबा 0.19 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 0.88 हैक्टर कृषि आराजी में दर्ज वादी की जाति जागा के बाद कोष्ठक में अंकित बैरवा को हटाया जाकर वादी सूरजकरण पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जागा निवासी मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 30/7/24 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुददई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी।		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी।		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बावत इजराय हुक्तनामा			बावत इजराय हुक्तनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक इटावा

सहायक कलक्टर
इटावा जि0 कोटा (राज0)